<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>फौजदारी अपील संख्या 57/2021</u>

अब्दुल जहीर एवं अन्य।

.....अपीलकर्ता।

द्वारा - सुश्री पुष्पा जोशी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मनीषा भंडारी और सुश्री चेतना लटवाल, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।

बनाम

उत्तराखंड राज्य।

.....प्रतिवादीगण

द्वारा -श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता, श्री राकेश जोशी और श्री पंकज जोशी, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादियों के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर्स के साथ।

और

फौजदारी अपील संख्या 350/2021

मंगलम शर्मा

.....अपीलकर्ता।

द्वारा -अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह।

बनाम

उत्तराखंड राज्य।

.....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री जे.एस. विर्क, श्री राकेश जोशी और श्री पंकज जोशी, विद्वान उप महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादी के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर्स के साथ।

साथ में

फौजदारी अपील संख्या 341/2021

शिवांश चौहान।

.....अपीलकर्ता।

द्वारा -अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह।

बनाम

उत्तराखंड राज्य।

.....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री जे.एस. विर्क, श्री राकेश जोशी और श्री पंकज जोशी, विद्वान उप महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादी के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर्स के साथ।

साथ में

फौजदारी अपील संख्या 368/2021

अमित रावत।

..... अपीलकर्ता।

द्वारा -श्री जी.सी. कांडपाल और श्री विनोद तिवारी, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील।

बनाम

उत्तराखंड राज्य।

.....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री जे.एस. विर्क, श्री राकेश जोशी और श्री पंकज जोशी, विद्वान उप महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादी के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर्स के साथ।

सुनवाई की तारीख :22-07-2022 और 01-10-2022

निर्णय की तिथि :01-10-2022

कोरमः

श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.

श्री मनोज कुमार तिवारी, जे.

श्री शरद कुमार शर्मा, जे.

प्रतिः श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.

1. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन मामलों को खण्ड पीठ द्वारा इस न्यायालय में भेजा गया है:"

क्या अपीलीय न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के तहत (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए इसे "संहिता" कहा गया है), विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाने पर रोक लगाने

का अधिकार क्षेत्र है, तब भी जब विचारण न्यायालय द्वारा कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया हो? "

2. सुविधा की दृष्टि से मामले के उचित निर्णय के लिए फौजदारी अपील संख्या 57/2021 के तथ्यों पर विचार किया जाता है।

3. दिनांक 08-03-2022 को, इस न्यायालय की खण्डपीठ, जिसमें हममें से एक सदस्य था, अब्दुल जहीर द्वारा दायर सजा के निलंबन के लिए संहिता की धारा 389 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई की। उन्हें सत्र परीक्षण संख्या 86/2015 में दिनांक 16-02-2021 के फैसले के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए इसे "दंड संहिता" कहा गया है) की सपठित दंड संहिता की धारा 34 के तहत अपराध के लिए अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया है और दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने और डिफ़ॉल्ट रूप से दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

4. दिनांक 15.02.2022 को अपीलकर्ता अब्दुल सईद को अपील पर जमानत दे दी गई और सजा निलंबित कर दी गई। उक्त अब्दुल जहीर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 57/2021 में जमानत अनुदान एवं जुर्माने पर रोक के लिए जमानत आवेदन संख्या 4/22 दायर किया गया था।

5. गौरतलब है कि अपीलकर्ता अब्दुल जहीर को भारतीय दंड की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई और डिफ़ॉल्ट में, दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीड़ित या मुखबिर को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जैसा कि संहिता की धारा 357 के तहत परिकल्पित है। जब इस न्यायालय ने मामला उठाया, तो एस

के मिश्रा, जे और ए के वर्मा, जे के बीच "जुर्माने पर रोक" के संबंध में मतभेद था, इसलिए, मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है जहां अपील पर जमानत दे दी गई है लेकिन जुर्माने पर कोई रोक नहीं है।

6. ऐसा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष **बे लेदर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सैलीला 1998 सी.आर आई. एल. जे. 3719** के मामले में भी उठा था, जहां उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"1. इस पुनरीक्षण याचिका में विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या अपीलीय न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 (1) के तहत अपील स्वीकार करते समय जुर्माने की सजा को निलंबित कर सकती है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?*
>
> **XXXXX**
>
> *12. धारा 389 (3) में निहित शब्दों के मद्देनजर, विचारण न्यायालय अकेले कारावास की सजा को निलंबित कर सकता है। हालाँकि, इस मामले में सवाल यह उठाया गया है कि क्या अपीलीय न्यायालय को धारा 389 (1) के तहत जुर्माने की सजा को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन, हमें इस सवाल में गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने खुद माना है कि धारा 389 (1) में "सजा" शब्द में जुर्माना भी शामिल होगा। इसलिए, आकस्मिक प्रश्न यह उठेगा कि क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा जुर्माने की सजा को केवल इसलिए निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि अपीलीय न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार है।*

13. मेरा सशक्त उत्तर यह है कि अपीलीय अदालत उक्त शक्ति का प्रयोग हल्के ढंग से नहीं कर सकती, धारा 389 (1) में निहित शब्दों को ध्यान में रखते हुए, "अपीलीय अदालत, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश दे सकती है कि सजा का निष्पादन ..... निलंबित कर दिया जाए"।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की सरल भाषा से, यह स्पष्ट है कि यह धारा, अपीलीय न्यायालय को केवल लिखित रूप में दर्ज किए गए वैध कारणों पर अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित करने का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

15. निस्संदेह, अभिव्यक्ति "वाक्य" का अर्थ न केवल कारावास की वास्तविक सजा है, बल्कि इसमें जुर्माने की सजा भी शामिल है। हालाँकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की भाषा इसके संदर्भ में मौन है, अपीलीय न्यायालय को जुर्माने की सजा को निलंबित करने का आदेश देते समय दो स्थितियों पर विचार करना होगा। पहला, जुर्माने की सजा को निलंबित करने के कारणों का पता लगाना और दूसरा, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर उचित शर्तों को लागू करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जुर्माने की सजा का आदेश जो अंततः अपील के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता पर लगाया जा सकता है, बिना किसी कठिनाई के निष्पादित किया जा सकता है।

16. ऐसे मामले में जहां कारावास और जुर्माना दोनों की सजा दी जाती है, कारावास के निलंबन के लिए प्रार्थना स्वीकार करते समय अदालत द्वारा

लगाई जाने वाली वैध शर्त यह हो सकती है कि अपीलकर्ता को उपयुक्त शर्तों पर एक बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाए और अपील खारिज होने की स्थिति में कारावास की सजा से गुजरने के लिए अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत की जाए। जुर्माने की सजा को निलंबित करने के लिए जो वैध शर्त लगाई जा सकती है, वह अपीलकर्ता को एक उपयुक्त सुरक्षा प्रस्तुत करने का निर्देश देना होगा, जो जुर्माना जमा करना सुनिश्चित कर सके, जो अंततः अपील के निर्णय के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता पर लगाया जा सकता है।"

7. इसी तरह का प्रश्न माननीय सुप्रीम न्यायालय के समक्ष **सत्येन्द्र कुमार मेहरा बनाम झारखंड राज्य (2018) 15 SCC 139** के मामले में भी उठा था। यह झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील थी जिसमें एक अपीलकर्ता को फौजदारी अपील संख्या 176/2018 में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।अपीलकर्ता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत और सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद, सजा को निलंबित करने का विशेषाधिकार देते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को 50,000/- रुपये की दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, हालाँकि, आवेदन की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने की राशि भी जमा करनी चाहिए। ऐसे आदेश से व्यथित होकर, सत्येंद्र कुमार मेहरा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. को प्राथमिकता दी। एसएलपी की अनुमति दी गई और एस.एल.पी. को आपराधिक अपील संख्या 406/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। माननीय उच्चतम

न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि यदि किसी दोषी पर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो संहिता की धारा 357 की उपधारा (2) के आधार पर, ऐसी स्थिति में ऐसे जुर्माने की वसूली पर स्वत: रोक लगनी चाहिए। यदि दोषी अपील दायर करता है। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 357 और 389 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> *"14. इस प्रकार जुर्माने का उपयोग दंड प्रकिया संहिता की धारा 357(1) में उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों की क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने पर विचार किया जा रहा है। धारा 357 दंड प्रकिया संहिता की उपधारा (2) धारा 357 दंड प्रकिया संहिता की उपधारा (1) में कही गई बातों के संदर्भ में बनाई गई है। दंड प्रकिया संहिता की धारा 357 की उप-धारा (2) में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द हैं, "अपील प्रस्तुत करने के लिए दी गई अवधि समाप्त होने से पहले, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा" (जोर दिया गया है)। इस प्रकार, दंड प्रकिया संहिता की धारा 357 (2) के तहत जो निषिद्ध है वह है कि जुर्माने का उपयोग करते हुए मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पेश करने की अनुमति दी गई अवधि समाप्त न हो जाए, या यदि कोई अपील दायर की जाती है तो अपील के फैसले से पहले। इसमें सजा पर रोक की कोई अवधारणा शामिल नहीं है।*

5. अध्याय XXIX अपीलों से संबंधित है। उक्त अध्याय में, धारा 389 "अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन" विषय से संबंधित है; अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए"। धारा 389 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता अपीलीय न्यायालय को यह आदेश देने का अधिकार देती है

जिस सजा या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका निष्पादन निलंबित कर दिया जाए और साथ ही, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार, सजा को निलंबित करने की शक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 से उत्पन्न होती है, जहां अपीलीय न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 और 389 दो अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होती हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में यह प्रतिबंध है कि जुर्माने की सजा का निर्णय पारित करने पर, जुर्माने का उपयोग मुआवजे के भुगतान के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें उल्लिखित आकस्मिकता न हो। जुर्माने की सजा सहित न्यायलय द्वारा दी गई सजा किसी भी तरह से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2) में निहित प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होती है। धारा 357 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का संचालन मुआवजे के भुगतान तक ही सीमित है जैसा कि धारा 357 (1) और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा विचार किया गया है। धारा 357 सीआरपीसी का शीर्षक अर्थात "मुआवजा देने का आदेश" साथ ही अनुभाग की तर्क केवल एक ही निष्कर्ष पर ले जाती है धारा 357 सीआरपीसी का शीर्षक अर्थात "मुआवजा देने का आदेश" साथ ही अनुभाग की सामग्री से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण प्रावधान लगाए गए जुर्माने से मुआवजे के भुगतान के संबंध में तैयार किया गया है या जब अदालत सजा सुनाती है तो जुर्माना उसका हिस्सा नहीं होता है, अदालत मुआवजे के तौर पर उस व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है जिसे चोट लगी हो। इस प्रकार, हमारा विचार है कि धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता का विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा के निलंबन से कोई लेना-देना नहीं है और आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की सजा किसी भी तरह से धारा 357 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां विचारण अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने में से किसी को मुआवजा देने का निर्देश दिया हो। विचारण न्यायालय के आदेश में मुआवजे के भुगतान के लिए कोई

निर्देश नहीं है और न ही वर्तमान मामला धारा 357 (1) सीआरपीसी के उप-खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित परिस्थितियों के दायरे में आता है। वर्तमान में धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का मामला भी नहीं है इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2) के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

XXXXX

35. धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (2) का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? धारा 357 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता ने कुछ परिस्थितियों में लगाए गए जुर्माने का उपयोग पीड़ित को मुआवजे के रूप में करने पर विचार किया। उप-धारा (2) में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपील के लिए दी गई अनुमति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या यदि अपील दायर की जाती है, जब तक कि उस पर निर्णय नहीं हो जाता। विधायिका इस बात से अवगत थी कि यदि भुगतान किए गए मुआवजे का उपयोग किया जाता है, तो पीड़ित से उपयोग की गई उक्त राशि को वसूलने के लिए उचित उपाय नहीं हो सकते हैं, जिसे मुआवजा दिया गया है, इसलिए भुगतान पर प्रतिबंध उप-धारा (2) में लगाया गया है। इस प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की सबसे अच्छी उपधारा (2) एक प्रावधान है जो अपील की सीमा समाप्त होने तक या दायर होने पर निर्णय होने तक दिए गए मुआवजे की राशि के उपयोग को स्थगित या रोक देता है। अपील के लंबित रहने के दौरान यह प्रावधान किसी भी तरह से जुर्माने की सजा पर रोक नहीं लगाता है। जिस उद्देश्य के लिए धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उप-धारा (2) को अधिनियमित किया गया है, वह

ऊपर बताए गए अनुसार अलग है और यह कभी भी अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की सजा पर रोक लगाने के रूप में विचार नहीं करता है।

36. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलीय न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना किसी शर्त के कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माने को भी निलंबित कर सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है। अपीलीय न्यायालय सजा और जुर्माना दोनों को निलंबित कर सकती थी या जुर्माना या जुर्माने का कुछ हिस्सा जमा करने का निर्देश दे सकती थी।"

8. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संहिता की दो धाराएँ 357 और 389 अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होती हैं। संहिता की धारा 357 की उप-धारा (2) विशेष रूप से तब लागू होती है जब जुर्माना लगाया जाता है और संहिता की धारा 357 की उप-धारा (1) के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि, संहिता की धारा 389 के प्रावधान दर्ज कारणों से सजा को निलंबित करने की न्यायालय की सामान्य शक्तियाँ हैं।

9. सजा को न तो "संहिता" में और न ही "दंड संहिता" में परिभाषित किया गया है। दंड संहिता का अध्याय III "दंड" का प्रावधान करता है। धारा 53 "दंड" को परिभाषित करती है। इस प्रकार, सराहना के उद्देश्य से, इसे नीचे उद्धृत किया गया है: -

"53. सज़ा, इस संहिता के प्रावधानों के तहत अपराधी जिन सज़ाओं के लिए उत्तरदायी हैं, वे हैं:-

पहली - मृत्यु

(दूसरा - आजीवन कारावास;)

[***]

चौथा- .--कारावास, जो दो प्रकार का है,

अर्थात्:-- (1) कठोर, यानी कड़ी मेहनत के साथ। (2) सरल;

पांचवां-संपत्ति की जब्ती।

छठा - जुर्माना।"

10. धारा 54 और 55 में "मौत" और "आजीवन कारावास" की सजा को कम करने का प्रावधान है और दोनों धाराओं में "Punishment" शब्द के बजाय "sentence" शब्द का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि "Punishment" को "sentence" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि संहिता की धारा 53 के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें "मृत्यु दंड" "आजीवन कारावास", "सख्त या सरल प्रकृति का कारावास," "संपत्ति की जब्ती" और "जुर्माना" शामिल है। इस प्रकार, संहिता की धारा 389 (1) में प्रावधान है कि अपीलीय न्यायालय के पास, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, सजा को निलंबित करने का क्षेत्राधिकार है। सजा के ऐसे निलंबन में कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हैं। मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया हैः

"अपीलीय न्यायालय के पास आपराधिक मुकदमे में अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को निलंबित करने का क्षेत्राधिकार है, भले ही विचारण न्यायालय द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया हो।"

11. आगे यह निर्देश दिया गया है कि एक बार अपीलीय न्यायालय "सजा" को निलंबित कर देती है, तो इसका अर्थ जुर्माने पर रोक भी होगा, जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाए। इन सभी मामलों को नियत पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

(एस. के. शर्मा, जे) **(एम. के. तिवारी, जे)** **(एस. के. मिश्रा, जे.)**

(नियमों के अनुसार इस निर्णय की तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान करें)

एस.के.एस.